

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- प्रथम) मध्य प्रदेश का कार्यालय, ग्वालियर
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL(AUDIT-I), M.P., GWALIOR

OE-11/Gr-6/F-99V/का.आ.-415

दिनांक- 29.10.2025

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER-415

सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार, इस कार्यालय से वित्त एवं संचार लेखापरीक्षा कार्यालय, जयपुर में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ श्री दिलीप कुमार मीणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (02/10743) की प्रतिनियुक्ति अवधि को दिनांक 24.08.2025 से 23.08.2026 (द्वितीय वर्ष) तक मुख्यालय कार्यालय के पत्र क्रमांक-60-स्टाफ(एप्प)-I/14-2023 दिनांक: 27.01.2025 के अनुसरण में निम्नलिखित शर्तों पर विस्तारित किया जाता है कि: -

- (i) पुनः प्रतिनियुक्ति विस्तार (तृतीय वर्ष) नहीं होने की स्थिति में, श्री दिलीप स्वीकृत प्रतिनियुक्ति अवधि के अंतिम दिन कार्यभार त्यागकर स्वयं को कार्यभार मुक्त करेंगे।
- (ii) उपर्युक्त निर्देश का पालन न करने पर वे स्वचालित रूप से अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (iii) नियत समयावधि में प्रत्यावर्तन नहीं होने की स्थिति में स्वीकृत अवधि के बाद की उनकी सेवा को सेवा में विराम माना जावेगा।
- (iv) संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय से यह सुनिश्चित किया जावेगा कि श्री दिलीप की स्वीकृत प्रतिनियुक्ति अवधि (23.08.2026 तक) के पश्चात् का वेतन रोक दिया जावे।

As per the order of the Competent Authority, the period of deputation of Shri Dileep Kumar Meena, Assistant Audit Officer (02/10743) on deputation from this office to the Finance and Communication Audit Office, Jaipur is extended from 24.08.2025 to 23.08.2026 (2nd year) in pursuance of Headquarters' letter No. 60-Staff (App)-I/14-2023 dated: 27.01.2025 on the following conditions: -

- (i) In the event of non-extension (3rd year) of deputation, Shri Dileep shall relinquish the charge and relieve himself on the last day of the approved period of deputation.
- (ii) In case of non-compliance with the above direction, he will automatically be liable for disciplinary action.
- (iii) If Shri Dileep is not repatriated within the stipulated time, his service beyond the approved period (upto 23.08.2026) will be treated as break-in-service.
- (iv) The concerned Pay and Accounts Office shall ensure that the salary of Shri Dileep beyond the sanctioned period of deputation (upto 23.08.2026) is withheld.

हस्ता-

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-11

दिनांक-

पृष्ठांकन- OE-11/Gr-6/F-99V/

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित -

ई-आफिस/ई-मेल के माध्यम से-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- प्रथम) का कार्यालय, मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन, ग्वालियर।

2. उप महालेखाकार/प्रशासन, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- प्रथम) का कार्यालय, मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन, ग्वालियर।
3. उप महालेखाकार/प्रशासन, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक)-प्रथम का कार्यालय, म.प्र., ग्वालियर को आपदा प्रबंधन कार्य हेतु प्रेषित।
4. उप निदेशक/प्रशासन, वित्त एवं संचार लेखापरीक्षा का कार्यालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक: प्रशा./ले.प./प्रतिनियुक्ति/1376-82 दिनांक: 11.09.2025 के सम्बन्ध में प्रेषित।
5. भुगतान एवं लेखा अधिकारी, पी.ए.ओ- 2/5, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक)-प्रथम का कार्यालय, म.प्र., ग्वालियर।
6. वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशासन- 12, 13, 14, सामान्य अनुभाग, कार्यपालन शाखा, विधि कक्ष (प्रशिक्षण) एवं गोपनीय कक्ष।
7. वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी /आई.एस.विंग को इन्ट्रानेट पर एवं वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. श्री उत्कर्ष यादव / स.ले.प.अ. (उ.म.ले./प्रशासन सचिवालय) को इन्ट्रानेट एवं इन्टरनेट पर अपलोड सुनिश्चित करने हेतु।
9. महामंत्री, एस.ए.एस. (ऑडिट वेलफेयर एसोसिएशन), ग्वालियर।
10. श्री दिलीप कुमार मीणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, द्वारा वित्त एवं संचार लेखापरीक्षा का कार्यालय, जयपुर।

हार्ड कॉपी के माध्यम से-

1. सूचना पटल/ऑडिट भवन।
2. गार्ड फाइल हेतु (03 प्रतियां)।


वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी /प्रशासन-11